

**क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय**  
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची।**

अल्पकालीन भाव पत्र आमंत्रण सूचना

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची ( डोरण्डा, रांची – 834002 ) द्वारा पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी से इस कार्यालय के कार्य हेतु Innova / Swift Dzire / टाटा इंडिगो ई.सी. एस./ Tata Zest/ Tata Indigo ecS AC/Non AC आदि की दैनिक एवं मासिक किराया दर पर आपूर्ति हेतु सील बंद दो लिफाफा पद्धति द्वारा आमंत्रित की जाती है।

A) पहला लिफाफा तकनीकी बिड का होगा। इस लिफाफे में निम्नलिखित कागजात संलग्न किया जायेंगे:-

- 1- वाहन मालिक / सेवा प्रदाता एजेंसी की पात्रता संबंधी सभी कागजात
- 2- Pan Card
- 3- Service Tax No.
- 4- Travel Agency के संचालन का समुचित प्राधिकार (Appropriate Authority) का निबंधन प्रमाण पत्र
- 5- पूर्व से सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग में कार्यरत Agency को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6- भाव पत्र में भाग लेने का मूल्य रू0 750/- ( राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी) Non- Refundable Demand Draft के रूप में देना आवश्यक होगा । डिमांड ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रांची पश्चिम, रांची के पदनाम से आहरित किया जाय।

B) दूसरा लिफाफा में सिर्फ वित्तीय बिड ( दर ) होगा। वित्तीय बिड में वाहन उपलब्ध कराने का मासिक दर तथा दैनिक दर का उल्लेखन किया जायेगा। वाहन इंधन सहित तथा इंधन रहित का दर दिया जायेगा।

- 1- वाहन की सेवा प्रतिदिन सामनरूता 12 घंटे की होगी।
- 2- एजेंसी द्वारा उद्धृत दर Tax ( सेवा कर छोड़कर ) सहित किया जायेगा । सेवा कर की राशि का भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर देय होगा।
- 3- दर में वाहन के रख-रखाव पर सभी तरह का व्यय, Insurance एवं चालक का भुगतान आदि सन्निहत होगा।
- 4- भुगतान करने वाले पदाधिकारी द्वारा करों की देयता श्रोत पर काट ली जायेगी।
- 5- सर्विस टैक्स का भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जायेगा।
- 6- वाहन का मीटर रिडिंग कि0मी0 Local तथा क्षेत्र भ्रमण में इंधन खपत प्रति लीटर/कि0मी0 उद्धृत करना आवश्यक होगा।
- 7- वाहन दो वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 8- वाहन मासिक तथा दैनिक रूप से रखा जा सकेगा।

9- Rate Bid प्रपत्र एवं भाव पत्र के संबंध में आवश्यक निदेश विभाग [www.daajharkhand.gov.in/](http://www.daajharkhand.gov.in/) [www.Jharkhand.gov.in](http://www.Jharkhand.gov.in) पर Download किया जा सकता है।

10- निधि की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

11- इस कार्यालय में मात्र एक गाड़ी की आवश्यकता है।

12- पहला लिफाफा एवं दूसरा लिफाफा में संलग्न सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

13- Rate Bid का प्रपत्र।

| Sl. No. | Type of Vehicle | Rate (Exclusive Fuel) |                        |                          | Rate (Inclusive Fuel) Per KM/ with minimum travel Charge |           | Mileage       |               | Rmks |
|---------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------|
|         |                 | Hire Charged Per Day  | Hire Charged Per Month | Fuel Consumpt in KM/Ltr. | Per Day  | Per Month | A.C. Non A.C. | A.C. Non A.C. |      |
| 1       | 2               | 3                     | 4                      | 5                        | 6  | 7         |               |               | 8    |
|         |                 |                       |                        |                          |  |           |               |               |      |

14- भाव पत्र में संशोधन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

**भाव पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रमुख तिथियाँ :-**

- a) भाव पत्र प्राप्ति कार्यालय का नाम - क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची।
- b) वेबसाईट पर अपलोड की तिथि - 17.02.2017 समय 11.30 बजे पूर्वाह्न
- c) भाव पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय- दिनांक-23.02.2017 को 5.00 बजे अपराह्न तक
- d) भाव पत्र खोलने की तिथि एवं समय - दिनांक-27.02.2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न।
- e) भाव पत्र खोलने का स्थान - क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची।


1- किराये का वाहन उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी को विभाग द्वारा अनुमोदित अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा। वाहन भाड़े पर रखने की अवधि 10 माह की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जा सकता है।

2- प्राप्त भाव पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची के अधीन सुरक्षित रहेगा।

3- भाव पत्र एवं प्राधिकृत व्यक्ति के सामने तकनीकी बीड एवं दर बीड खोला जायेगा।

4- वित्तीय बिड का लिफाफा उन्हीं ट्रेवल एजेंसी/ सेवा प्रदाता का खोला जायेगा, जो तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे।

5- भाव पत्र अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची को हाथो -हाथ उपलब्ध कराया जाय।

  
 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,  
 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रक्षेत्र, रांची।